(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : पीबीआर/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2018/1185 निगरानी – विरूद्ध – आदेश 5–2–2018 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, राजगढ़ जिला राजगढ़ – प्रकरण क्रमांक 17/2017–18 बी–121

1– सुरेश दांगी पुत्र हरीसिंह दांगी
निवासी फतहपुर तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश

2– श्रीनाथ पुत्र गोकुलदास दांगी
निवासी कुआखेड़ा तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

रामस्वरूप पुत्र किशनलाल महाजन
खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर , जिला राजगढ़ ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री गोपाल स्वर्णकार)

आ दे श

(आज दिनांक 21 – 08 –2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, राजगढ़ जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 17/2017–18 बी–121 में पारित आदेश दिनांक 5–2–2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि फतहपुर मार्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 465/8 रकबा 0.759 हैक्टर आवेदक ने अवैध रूप से रजिस्ट्री कराकर क्रय की है जिस पर आवेदकगण अवैध रूप से मकान निर्माण कर रहे हैं एंव उसके आगे टीनशेड गलत लगाया है इसलिये अनियमित निर्माण कार्य तुड़वाया जाय। अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर ने प्र0क0 17 बी–121/2017–18 पॅजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 9–1–18 से नायव तहसीलदार के नेतृत्व में स्थल जांच दल गठित किया गया। जांच दल

से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 5-2-18 से जांच रिपोर्ट की प्रति दोनों पक्षों को प्रस्तुत कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 17 बी-121/2017-18 का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि वाद विचारित भूमि आवेदकगण ने पॅजीकृत विकय से कय की है तथा भूमि का नक्शा तरमीम कराते हुये उनके स्वामित्व की भूमि पर कार्य कराया जा रहा है। अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 719/3 रकबा 0.228 हैक्टर से आवेदकगण को कोई मतलव नहीं है यह भूमि अनावेदक के पास है तहसीलदार ने विधिवत् नक्शा तरमीम किया है। परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक को परेशान करने की गरज से व्यर्थ मुकदमेवाजी की जा रही है एंव अनुविभागीय अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह कोई निर्माण कार्य तुड़वायें। अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 17 बी-121/2017-18 में दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 5-2-18 के विरूद्ध राजस्व मण्डल से स्थगन है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17 बी-121/2017-18 में निरन्तर सुनवाई करके व्यर्थ ही आवेदकगण को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने वाद विचारित भूमि पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि भूमि सर्वे कमांक 719/3 रकबा 0.228 हैक्टर अनावेदक ने कय की है एंव नामान्तरण कराकर स्वत्व प्राप्त किया है। इसी भूमि का अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर से प्रकरण नंबर 552/01/04/2000 से डायवर्सन कराया है । सर्वे कमांक 719/3 रकबा 0.228 हैक्टर से सर्वे कमांक 465/8 रकबा 1.012 है. भूमि का पट्टा 2-9-1963 को गोरीलाल चमार निवासी फतेहपुर को हुआ था किन्तु बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि विकय हुई है । आवेदकगण ने हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक से मिलकर गलत नक्शा तरमीम कराकर अनावेदक की भूमि को कब्जाने का प्रयास किया है तहसीलदार के गलत नक्शा तरमीम आदेश को अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर ने निरस्त कर दिया है एंव अपर आयुक्त ने भी अपील निरस्त की है जिसके कारण तहसीलदार का नक्शा तरमीम आदेश शून्य होने के वाद भी आवेदकगण गलत निर्माण कर रहे हैं इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही सही है। उन्होंने निगरानी व्यर्थ करना बताते हुये निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि यह सही है कि सर्वे कमांक 465/8 रकबा 1.012 है. भूमि में अंश रकबा आवेदकगण ने कय किया है एंव विकय पत्र अनुसार भूमि

का मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। विचाराधीन मामला भूमि के कब्जे का अथवा स्वामित्व का नहीं है अपितु यह मामला अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर द्वारा प्र0क0 17बी–121/ 2017–18 पॅजीबद्ध करके आवेदकगण के क्रय किये गये रकबे पर किये जा रहे कार्य को रोकने पर आधारित है और यह भी सही है कि अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 17/2017–18 बी–121 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–2018 के विरूद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रचलित प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2018/1185 में अंतरिम आदेश दिनांक 18–5–18 से पूर्व में दिये गये स्थगन दिनांक 9–3–18 की अवधि बढ़ाते हुये आगामी पेशी 12–7–18 तक अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर द्वारा की जा रही कार्यवाही पर स्थगन है। इसके वावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–18 से तर्क हेतु नियत दिनांक 12–2–18 के उपरांत 20–2–18 को, उसके वाद 13–3–18 को, 21–3–18 को सुनवाई करने में भूल की है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17 बी–121/2017–18 में की जा रही कार्यवाही इसलिये भी नियम एंव प्रकिया के विरूद्ध होना पाई गई क्योंकि इसी भूमि के सम्बन्ध में अपर कलेक्टर राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 9/बी–121/16–17 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 10–1–2018 पारित किया जा चुका है तथा वादग्रस्त भूमि के पट्टा एंव स्वामित्व के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2018/2011 विचाराधीन है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 17/2017–18 बी–121 की जा रही कार्यवाही दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 17/2017–18 बी–121 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–2–2018 एंव उसके उपरांत की गई कार्यवाही शून्यवत् की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वाद विचारित भूमि के पट्टा एंव स्वामित्व के सम्बन्ध वरिष्ठ न्यायालयों से स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, खिलचीपुर तद्नुसार कार्यवाही करने पर विचार करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर